राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(बजट अनुभाग)

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य./85 पार्ट III   दिनांक : 04.09.2017

समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)

विषय:– पश्चिमी राजस्थान में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि पीड़ितों को आर्थिक सहायतार्थ एक दिन का मूल वेतन देने हेतु।

महोदय,

राजस्थान राज्य के पश्चिमी जिलों में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि में राहत कार्यो हेतु आर्थिक सहयोग देने हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् के सभी अधिकारियों ने एक दिवस का वेतन अपने अंशदान के रूप में देने का निर्णय लिया है ।

इस अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए और सहायता राशि के शीघ्र संग्रहण हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी वेतन बिलों से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के एक दिवस के मूल वेतन के समान राशि की कटौती करेंगे।

उपरोक्तानुसार काटी गई राशि कोषाधिकारियों द्वारा निम्नांकित बजट मद में जमा की जायेगी :–

8448–स्थानीय निधियों की जमा

120–अन्य निधियां

(07)–राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष

[04]–राजस्थान के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ

काटी गई राशि के लिए स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र सलंग्न किया जायेगा तथा कोषागार द्वारा उक्त मद में पृथक से जमा की गई राशि को संकलित किया जायेगा। संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जायेगी।

उक्त काटी गई राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट के योग्य है।

भवदीय

(मंजू राजपाल)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

E:\2003\bo\sahayata.doc

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उपसचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक , वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वेतन बिलों से की गई कटौती से राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष (8448–120–(07)–[04]) में जमा राशि उसी माह की 10 तारीख तक कोषाधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के पीडी खाते में जमा कराने हेतु हस्तांतरित करेंगे। विलम्ब से प्रस्तुत वेतन बिलो से काटी गई राशि उस माह के अन्त तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

निदेशक वित्त (बजट)